रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड—I
PART I—Section—I

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 159] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 1997/भाद्रपद 7, 1919
No. 159] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 1997/BHADRA 7, 1919

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1997

फा. सं. 33/7/97-पी आई-I.—जबकि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के प्रावधानों के अधीन (समय-समय) जारी औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, के अनुसार अनुसूचित श्रेणी में शामिल प्रपुंज औषधों तथा सूत्रयोगों के मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते रहे हैं और भारत सरकार यह अनुभव करती रही है कि प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के मूल्य निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण करने की वर्तमान मशीनरी जटिल तथा अधिक समय लेने वाली है;

2. और जबकि, सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, सरकार का यह विचार है कि प्रक्रिया को सरल तथा सुप्रवाही बनाने वाले तथा व्यापक पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ निकाय का गठन किया जाना चाहिए । जिसके पास औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के अधीन समय-समय पर मूल्यों को निर्धारित करने तथा उनमें परिवर्तन, यदि कोई हो, करने का अधिकार हो;

3. इसलिए, सरकार ने अब विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय स्थापित करने का निर्णय लिया है । इस निकाय का नाम राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण होगा जिसमें भारत सरकार के सचिव स्तर के एक अध्यक्ष होंगे तथा औषधि, अर्थशास्त्र तथा लागत लेखा क्षेत्रों में विशेषता रखने वाले सदस्य और भारत सरकार के संयुक्त सचिव/अपर सचिव की हैसियत/रैंक के एक सदस्य सचिव होंगे । इस प्राधिकरण को मूल्य निर्धारण/पुनर्निर्धारण तथा अन्य संबंधित मामले निर्धारित मानदण्ड/मार्गदर्शन के आधार पर जैसे मूल्य नियंत्रण के अधीन औषधों को शामिल करके/निकाल करके औषध सूची को अद्यतन करना आदि कार्य सौंपे जाते हैं । राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण अंतिम निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा जिस पर यदि आवश्यक हुआ तो केन्द्र सरकार पुनरीक्षण करेगी । यह प्राधिकरण विनियंत्रित औषधों तथा सूत्रयोगों के मूल्यों की भी मानीटरिंग करेगा तथा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर नजर रखेगा । उपर्युक्त गतिविधियों के अतिरिक्त इस प्राधिकरण को कुछ और कार्य सौंपे गये हैं, जैसा कि इस संकल्प की अनुसूची में दिया गया है ।

4. प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन हेतु अपनी प्रक्रिया विनियमित करने का अधिकार होगा । यह शासकीय, गैर-शासकीय निकायों/संगठनों से टिप्पणियां, ज्ञापन, अध्ययनों के परिणाम, आंकड़े तथा अपने कार्य के लिए अन्य संगत सामग्री मांगने के लिए तथा उनके साथ विचार-विमर्श करने के लिए स्वतंत्र होगा । प्राधिकरण को केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों, उद्योगों, उपभोक्ताओं तथा अन्य संगत संगठनों से नजदीकी सम्पर्क बनाए रखने का अधिकार होगा ।

5. प्राधिकरण का खर्च केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।

6. प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

7. इस संकल्प के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से यह प्राधिकरण स्थापित हो जाएगा और कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ।

अनुसूची

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अन्य प्रकार्य

(1) सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के उपबंधों को लागू करना;

(2) प्राधिकरण के निर्णयों से उत्पन्न सभी कानूनी मामलों पर कार्रवाई करना;

(3) औषधों की उपलब्धता को मानीटर करना और यदि कोई कमी हो तो उसकी पहचान करना तथा निवारणात्मक कदम उठाना;

(4) उत्पादन, निर्यात और आयात, अलग-अलग कंपनियों का बाजार में हिस्सा, प्रपुंज औषधों तथा सूत्रयोगों के लिए कंपनियों की लाभदेयता आदि संबंधी आंकड़ों को एकत्र करना/रख-रखाव करना;

(5) औषधों/भेषजों के मूल्य निर्धारण के संबंध में संगत अध्ययन शुरू करना/प्रायोजित करना;

(6) प्राधिकरण के अधिकारियों और स्टाफ के अन्य सदस्यों की सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार भर्ती/नियुक्ति करना;

(7) औषध नीति में परिवर्तनों/संशोधनों से संबंधित नीतिमूलक उपायों के संबंध में केन्द्र सरकार को सलाह देना;

(8) औषध मूल्य निर्धारण से संबंधित संसदीय मामलों में केन्द्रीय सरकार को आवश्यक सहायता देना।

आदेश

आदेश किया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रशासनों, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश किया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण के सूचनार्थ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एन. आर. बनर्जी, सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

RESOLUTION

New Delhi, the 29th August, 1997

F. No. 33/7/97-PI-1.—Whereas the prices of bulk drugs and the formulations included in the Scheduled categories are being fixed by the Government of India as per the Drugs (Prices Control) Order, issued from time to time under the provisions of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and the Government have been experiencing that the present mechanism for the fixation and revision of prices of bulk drugs and formulations is cumbersome, complicated and time consuming;

2. And whereas, after careful consideration, the Government is of the opinion that to streamline and simplify the procedure and to bring about a greater degree of transparency as well as objectivity, an expert body should be constituted with the powers, inter alia, to fix prices and notify the changes therein, if any, of bulk drugs and formulations, from time to time, under the Drugs (Prices Control) Order;

3. Therefore, the Government have now decided to establish an independent body of experts to be called as the National Pharmaceutical Pricing Authority, consisting of a Chairperson in the status of the Secretary to the Government of India, Members having expertise in the field of pharmaceuticals, economics and cost accountancy and Member Secretary in the status of Joint Secretary/Additional Secretary to the Government of India, and the same is entrusted with the task of price-fixation-revision and other related matters such as updating the list of drugs under price control by inclusion and exclusion on the basis of the established criteria/guidelines. The National Pharmaceutical Pricing Authority shall be empowered to take final decisions, which shall be subject to review by the Central Government as and when considered necessary. The Authority shall also monitor the prices of decontrolled drugs and formulations and oversee the implementation of the provisions of the Drugs (Prices Control) Order. In addition to the above mentioned functions, the Authority is entrusted with certain other functions as detailed in the Schedule annexed to the Resolution.

4. The Authority shall have power to regulate its own procedure for performing the functions entrusted to it. It shall be free to call for notes, memoranda, results of studies, data and other material relevant to its work, from official and non-official bodies/organisations, and hold discussions with them. The Authority shall be empowered to maintain close touch with the Ministries of the Central Government, State Governments, Industry, consumers and other related organisations.

5. The expenditure of the Authority shall be borne by the Central Government.

6. The Head Quarters of the Authority will be at New Delhi.

7. The Authority shall be established and start functioning from the date of publication of this resolution in the Official Gazette.

SCHEDULE

Other functions of the National Pharmaceutical Pricing Authority

(1) To implement and enforce the provisions of the Drugs (Prices Control) Order in accordance with the powers delegated to it.

(2) to deal with all legal matters arising out of the decisions of the Authority;

(3) to monitor the availability of drugs, identify shortages, if any, and to take remedial steps;

(4) to collect/maintain data on production, exports and imports, market share of individual companies, profitability of companies etc. for bulk drugs and formulations;

(5) to undertake and/or sponsor relevant studies in respect of pricing of drugs/pharmaceuticals;

(6) to recruit/appoint the officers and other staff members of the Authority, as per rules and procedures laid down by the Government;

(7) to render advice to the Central Government on changes/revisions in the drug policy;

(8) to render assistance to the Central Government in the parliamentary matters relating to the drug pricing.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administration, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. R. BANERJI, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997